न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/20/2023	2023/313	01.06.2023	10.02.2026

1.लोकेश चन्द कोली पुत्र श्री छाजूराम कोली जाति कोली निवासी रामनगर (भानगढ), तहसील टहला, जिला अलवर राजस्थान।
2.गुड्डी देवी पत्नी श्री मुकेश चन्द कोली जाति कोली निवासी रामनगर (भानगढ), तहसील टहला, जिला अलवर राजस्थान।
3.तेजाराम पुत्र रामजीलाल जाति कोली निवासी रामनगर (भानगढ), तहसील टहला, जिला अलवर राजस्थान।

---अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार टहला जिला अलवर राज0

---रेस्पोडेन्ट

राजस्व प्रथम अपील अनर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार टहला जिला अलवर राजस्थान दिनांक 21.09.2022 नामान्तरकरण संख्या 1534 ग्राम भानगढ जिला अलवर राजस्थान।

उपस्थितः--

01. श्री अजीत कुमार यादव — वकील अपीलाण्ट्स
02. राजकीय अभिभाषक — वकील रेस्पोडेन्ट

--:: निर्णय ::--

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार टहला जिला अलवर राजस्थान दिनांक 21.09.2022 नामान्तरकरण संख्या 1534 ग्राम भानगढ तहसील टहला जिला अलवर से व्यथित होकर पेश की है जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि अपील विरूद्ध आलोच्य आज्ञा तहसीलदार टहला जिला अलवर राजस्थान दिनांक 21.09.2022 नामान्तकरण संख्या 1534 ग्राम भानगढ़ जिला अलवर राज आराजी खरारा नम्बर 2606/2223 रकबा 0.02 हेक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, एवं खसरा नम्बर 2596/1790 रकबा 0.012 हेक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, वाके ग्राम भानगढ़ जिला अलवर राज के खिलाफ यह अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। अपील हाजा पर नियमानुसार कोर्टफीस 2/- रूपया चस्पा है, तथा आलोच्य निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न है। अपील विरुद्ध आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू.अ.) टहला जिला अलवर राजस्थान दिनांक 21.09.2022 नामान्तकरण संख्या 1534 ग्राम भानगढ़ जिला अलवर राज. आराजी खसरा नम्बर 2606/2223 रकवा 0.02 हैक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, एवं खसरा नम्बर 2596/1790 रकबा 0.012 हेक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, वाके ग्राम भानगढ जिला अलवर राज. का है जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को पूर्व में नहीं थी केसीसी ऋण हेतु हाल जमाबन्दी की नकल लेने पर दिनांक 06.01.2023 अपीलाण्ट को आलोच्य आदेश की जानकारी हुई जिसके पश्चात उप जिलाधीश महोदय राजगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र आलोच्य आदेश को हजफ कर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी का अंकन करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर कोई कार्यवाही नही होने पर वकील साहब से दिनांक 10.04.2023 को सलाह मशवरा करने पर वकील साहब के द्वारा अविलम्ब अपील पेश करने को कहने पर यह अपील दिनांक 06.01.2023 तक आलोच्य आदेश की जानकारी नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

होने एवं 06.01.2023 से 10.04.2023 तक कानूनी जानकारी नहीं होने के कारण श्रीमान उपजिलाधीश महोदय राजगढ़ के यहा कार्यवाही में समय व्यतीत होने के कारण कण्डोन फरमाये जाने योग्य है एवं अपीलाण्ट को वकील साहब के द्वारा कानूनी जानकारी देने के उपरान्त दिनाक 10.04.2023 से अपील अन्दर नियाद पेश है जहा आदेश आरम्भ से ही अवैध व शुन्य हो, तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित किया गया हो. वहा मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है। ऐसे आदेश को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है। मियाद की कोई पाबन्दी नहीं है ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्ता अपील अपीलाण्टान न्यायहित में अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है जिसके लिये प्रार्थना पत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हल्फनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है। अपीलाण्ट संख्या 01 व 02 के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2223 रकबा 0.30 हैक्टर याके ग्राम भानगढ़ तहसील टहला जिला अलवर को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 01.02.2022 को पुस्तक संख्या 01. जिल्द संख्या 25 पृष्ठ संख्या 109. क्रर्म संख्या 202203295100185 व अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1. जिल्द संख्या, 46 के पृष्ठ संख्या 173 से 185 पर धरपा होकर उप पंजियक टहला से पंजिबद्ध करवाकर खरीद किया था जिसका इन्तकाल संख्या 1489 दिनांक 17.02.2022 अपीलाण्ट संख्या 01 व 02 के हक में दर्ज व तस्दीक तहसीदार (मू.अ.) टहला के द्वारा किया गया जिसके पश्चात से ही अपीलाण्ट संख्या 01 व 02 आराजी खसरा नम्बर 2223 रकबा 0.30 हैक्टर वाके ग्राम भानगढ़ तहसील टहला जिला अलवर पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं अपीलाण्ट संख्या 01 व 02 का आराजी खसरा नम्बर 2223 रकबा 0.30 हेक्टर वाके ग्राम भानगढ़ तहसील टहला जिला अलवर हाल राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक इन्तकाल अमल हो गया जिसके पश्चात तहसीलदार (नू.अ.) टहला के द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 21.09.2022 नामान्तकरण संख्या 1534 ग्राम भानगढ़ जिला अलवर राज. आराजी खसरा नम्बर 2606/2223 रकबा 0.02 हेक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, एवं खसरा नम्बर 2596/1790 रकबा 0.012 हेक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, वाके ग्राम भानगढ़ तहसील टहला, जिला अलवर राज. पारित किए गए है। कि जिस निर्णय से असन्तुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही है। जो कि निम्न आधार पर स्वीकार होने योग्य है।

अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2223 रकबा 0.30 हेक्टर, व खसरा नम्बर 1790 रकबा 0.26 हेक्टर, वाके ग्राम भानगढ़ तहसील टहला, जिला अलवर में से मिन अपीलाण्ट को बिना कोई सूचना एवं सुनवाई तथा बिना किसी न्यायालय आदेश के अपीलाण्ट की खालेदारी आराजी खसरा नम्बर 2223 में से 0.02 हेक्टर, रकबा तथा खसरा नम्बर 1790 में से 0.012 हेक्टर, रकबा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करते हुये आलौच्य आदेश दिनांक 21. 09.2022 नामान्तकरण संख्या 1534 ग्राम भानगढ जिला अलवर राज. आराजी खसरा नम्बर 2606/2223 रकबा 0.02 हेक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, एवं खसरा नम्बर 2596/1790 रकबा 0.012 हैक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, वाके ग्राम भानगढ जिला अलवर राज, पारित कर दिया जो बेजा व बिना जाँच किए व बिना मौका निरीक्षण किये, जो गलत एवं मौके के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है, निरस्त फरमाया जावें, जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। इन्तकाल संख्या 1534 दिनांक 21.09.2022 के नामान्तकरण प्रपत्र (प–21) के कॉलम नामान्तकरण का प्रकार दर्ज किया है। लेकिन किस न्यायालय के द्वारा क्या आदेश पारित किया गया है का नहीं किया गया है। अपीलाण्ट के द्वारा अपीलाण्ट को जानकारी होने पर श्रीमान जिलाधीश महोदय राजगढ़ के समक्ष भी आलौच्य आदेश किस नयायालय आदेश के आधार पर पारित किया गया है के बारे में जानकारी करने का प्रयास किया लेकिन अपीलाण्ट को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई तथा श्रीमान उप जिलाधीश महोदय राजगढ़ को भी कोई न्यायालय आदेश के बारे में जानकारी नहीं होने को अपीलाण्ट को कहा गया तथा श्रीमान उप जिलाधीश महोदय राजगढ़ के द्वारा जमाबन्दी नकल पर भी **किस आदेश से नामान्तकरण दर्ज हुआ ??** अपनी कलम से लिखा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

गया जिस पर भी उपजिलाधीश महोदय राजगढ़ के कार्यालय से किसी भी प्रकार के कोई न्यायालय आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को नहीं दी गई। जिससे आलीच्य आदेश दिनांक 21.09.2022 नामान्तकरण संख्या 1534 ग्राम भानगढ जिला अलवर राज. आराजी खसरा नम्बर 2606/2223 रकबा 0.02 हेक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, एवं खसरा नम्बर 2596/1790 रकबा 0.012 हेक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, वाके ग्राम भानगढ़ जिला अलवर राज, पारित कर दिया जो बेजा व खिलाफ कानून एवं मौके के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है. निरस्त फरमाया जायें, जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2223 रकबा 0.30 हेक्टर, व खसरा नम्बर 1790 रकबा 0.26 हैक्टर, वाके ग्राम भानगढ़ तहसील टहला, जिला अलवर में से मिन अपीलाण्ट को बिना कोई क्षतिपूर्ति के अपीलाण्ट की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 2223 में से 0.02 हेक्टर, रकबा तथा खसरा नम्बर 1790 में से 0.012 हेक्टर, रकबा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करते हुये आलौच्य आदेश दिनांक 21.09.2022 नामान्तकरण संख्या 1534 ग्राम भानगढ़ जिला अलवर राज आराजी खसरा नम्बर 2606/2223 रकबा 0.02 हेक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, एवं खसरा नम्बर 2596/1790 रकबा 0.012 हेक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, वाके ग्राम भानगढ़ जिला अलवर राज, पारित कर दिया जो बेजा व बिना जॉच किए व बिना मौका निरीक्षण किये, जो खिलाफ कानून एवं मौके के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है. निरस्त फरमाया जायें, जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2223 रकबा 0.30 हेक्टर, व खसरा नम्बर 1790 रकबा 0.26 हेक्टर, वाके ग्राम भानगढ़ तहसील टहला, जिला अलवर में से मौके पर कोई रास्ता जारी नही है ना ही कभी पूर्व में था अपीलाण्ट की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 2223 में से 0.02 हैक्टर, रकबा तथा खसरा नम्बर 1790 में से 0.012 हेक्टर, रकबा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करते हुये आलौच्य आदेश दिनांक 21.09.2022 नामान्तकरण संख्या 1534 ग्राम भानगढ़ जिला अलवर राज, आराजी खसरा नम्बर 2606/2223 रकबा 0.02 हेक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, एवं खसरा नम्बर 2596/1790 रकबा 0.012 हैक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, वाके ग्राम भानगढ जिला अलवर राज. पारित कर दिया जो बेजा व बिना जॉच किए व बिना मौका निरीक्षण किये, जो खिलाफ कानून एवं मौके के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है, निरस्त फरमाया जावें, जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। पटवारी हल्का द्वारा तहत अदालत के समक्ष बिना तथ्यो पर गौर किये, बिना रिकॉर्ड देखे, बिना पेमाईश किये, मौका रिपोर्ट तैयार कर तहत अदालत के समक्ष पेश की गई है। जो केवल मात्र मिन अपीलाण्ट को हैरान, तंग व परेशान करने की नियत से पेश की गई है। जिसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। तहत अदालत द्वारा पटवारी हल्का की मिथ्या एवं खिलाफ मौका गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये। तहसीलदार साहब ने ना तो मौके का निरीक्षण ही किया, और ना ही अपीलाण्ट का साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर ही दिया, और बिना समुचित सुनवाई किए, अपीलाण्ट के विरूद्ध आलौच्या आदेश दिनांक 22 नामान्तकरण संख्या 1534 ग्राम भानगढ जिलए अलेवरे राज. आराजी खसरा नम्बर 2606/2223 रकबा 0.02 हैक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, एवं खसरा नम्बर 2596/1790 रकबा 0.012 हैक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, वाके ग्राम भानगढ जिला अलवर राज. पारित कर दिया है, निर्णय जेर बहस अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है। निरस्त फरमाया जावे, जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। तहत अदात में अपीलाधीन आलौच्य आदेश दिनांक 21.09.2022 नामान्तकरण संख्या 1534 ग्राम भानगढ़ जिला अलवर राज आराजी खसरा नम्बर 2606/2223 रकबा 0.02 हेक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, एवं खसरा नम्बर 2596/1790 रकबा 0.012 हेक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, याके ग्राम भानगढ जिला अलवर राज. पारित कर दिया खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तो एंव नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, पारित किया है। जिससे अपास्त किये जाने योग्य है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। अन्य वाकेयात

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

दौराने बहस जुबानी अर्ज किये जायेंगे। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहत आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू.अ.) टहला जिला अलवर राजस्थान दिनांक 21.09.2022 नामान्तकरण संख्या 1534 ग्राम भानगढ़ जिला अलवर राज. आराजी खसरा नम्बर 2606/2223 रकबा 0.02 हैक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, एवं खसरा नम्बर 2596/1790 रकबा 0.012 हेक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, वाके ग्राम भानगढ़ जिला अलवर राज, अपास्त फरमाया जावे, तथा आराजी खसरा नम्बर 2223 रकबा 0.30 हेक्टर, व खसरा नम्बर 1790 रकबा 0.26 हैक्टर, वाके ग्राम भानगढ़ तहसील टहला, जिला अलवर के हाल राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाण्ट का पूर्ववत खातेदार का अंकन किया जावें एवं अन्य उचित आज्ञा जो न्याय संगत हो प्रदान की जावे। आपकी अति कृपा होगी। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

पत्रावली मे उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट्स द्वारा दौराने बहस कथन किये कि अपीलाण्ट संख्या 01 व 02 के द्वारा विवादित आराजियात खसरा नम्बर 2223 रकबा 0.30 हैक्टर याके ग्राम भानगढ़ तहसील टहला जिला अलवर को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 01.02.2022 को उप पंजियक टहला से पंजिबद्ध करवाकर खरीद किया था जिसका इन्तकाल संख्या 1489 दिनांक 17.02.2022 अपीलाण्ट संख्या 01 व 02 के हक में दर्ज व तस्दीक तहसीदार (भू.अ.) टहला के द्वारा किया गया जिसके पश्चात से ही अपीलाण्ट संख्या 01 व 02 आराजी खसरा नम्बर 2223 रकबा 0.30 हैक्टर वाके ग्राम भानगढ़ तहसील टहला जिला अलवर पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं अपीलाण्ट संख्या 01 व 02 का आराजी खसरा नम्बर 2223 रकबा 0.30 हेक्टर वाके ग्राम भानगढ़ तहसील टहला जिला अलवर हाल राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक इन्तकाल अमल हो गया जिसके पश्चात तहसीलदार (नू.अ.) टहला के द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 21.09.2022 नामान्तकरण संख्या 1534 ग्राम भानगढ़ जिला अलवर राज. आराजी खसरा नम्बर 2606/2223 रकबा 0.02 हेक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, एवं खसरा नम्बर 2596/1790 रकबा 0.012 हेक्टर, गैर मुमकिन रास्ता, वाके ग्राम भानगढ़ तहसील टहला, जिला अलवर राज. पारित किए गए है। अपीलांट्स द्वारा उप जिलाधीश महोदय राजगढ से आदेश निकलवाने की कोशिश की किन्तु न्यायालय से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। वर्तमान में मौके पर कोई रास्ता नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाये।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा वकील अपीलांट्स के कथनों को नकारते हुए कथन किया कि पत्रावली में संलग्न तहसीलदार अलवर के पत्रांक भू0अ0/2025/1520 दिनांक 14.07.2025 से प्राप्त रिपोर्ट में तहसीलदार द्वारा कथन किया कि पटवारही हल्का गोला का बास की रिपोर्ट के अनुसार नामान्तकरण संख्या 1534 ग्राम भानगढ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट राजगढ के आदेश क्रमांक/भू राजस्व/2021/259 दिनांक 16.12.2021 व कार्यालय तहसीलदार टहला के आदेश क्रमांक भू0अ0/2022/1449 दिनांक 20.05.2022 के आधार पर दर्ज व स्वीकार किया गया है। तहसीलदार द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया गया है जो केवल न्यायालय के आदेश की पालना में हुआ है। इंतकाल में किसी भू प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलार्थीगण द्वारा तहसीलदार, टहला के नामांतरकरण संख्या 1534 दिनांक 21.09.2022 के विरुद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण ने उक्त नामांतरकरण, जिसके द्वारा ग्राम भानगढ़ के खसरा संख्या 2223 में से 0.02 हेक्टेयर व खसरा नं. 1790 में से 0.012 हेक्टेयर भूमि को 'गैर मुमकिन रास्ता' दर्ज किया गया है, को निरस्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

कर पूर्ववत खातेदारी दर्ज करने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीगण ने उक्त भूमि दिनांक 01.02.2022 को पंजीकृत बयनामा के जरिए क्रय की थी, जिसका नामांतरकरण सं. 1489 दिनांक 17.02.2022 को उनके पक्ष में तस्दीक हुआ। उनका कथन है कि आलोच्य नामांतरकरण सं. 1534 दिनांक 21.09.2022 बिना किसी सूचना, बिना सुनवाई और बिना मुआवजे के पारित किया गया है। मौके पर कोई रास्ता नहीं है। यह कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, अतः आलोच्य आदेश अपास्त किया जावे। राजकीय अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार टहला ने अपनी रिपोर्ट (पत्रांक भू0अ0/2025/1520 दिनांक 14.07.2025) में स्पष्ट किया है कि विवादित नामांतरकरण संख्या 1534, उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के आदेश क्रमांक/भू राजस्व/2021/259 दिनांक 16.12.2021 एवं तहसीलदार टहला के आदेश दिनांक 20.05.2022 की पालना में दर्ज किया गया है। यह सक्षम न्यायालय के आदेश की अनुपालना मात्र है, जिसमें तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

पत्रावली के अवलोकन, उभय पक्षों की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि आलोच्य नामांतरकरण संख्या 1534 दिनांक 21.09.2022 अधीनस्थ न्यायालय या राजस्व अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से नहीं किया गया है, बल्कि यह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के आदेश दिनांक 16.12.2021 के अनुक्रम में अमल में लाया गया है। जब कोई नामांतरकरण किसी सक्षम अधिकारी या न्यायालय के आदेश की पालना में दर्ज किया जाता है तो तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में उस आदेश को इंद्राज करने के लिए बाध्य है। अपीलार्थी ने अपने तर्कों में मुख्य रूप से रास्ते के औचित्य और प्रक्रिया को चुनौती दी है, किन्तु जिस मूल आदेश (दिनांक 16.12.2021) के तहत यह रास्ता कायम किया गया है, उसे सक्षम स्तर पर चुनौती दिए जाने का कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं है। केवल आदेश की पालना में भरे गए नामांतरकरण को चुनौती देने से मूल आदेश का प्रभाव समाप्त नहीं होता। चूंकि तहसीलदार, टहला ने उच्च अधिकारी के आदेशों की अक्षरश पालना करते हुए राजस्व रिकॉर्ड संधारित किया है, अतः आलोच्य आदेश दिनांक 21.09.2022 में कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहसीलदार टहला द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 1534 दिनांक 21.09.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ सूचनार्थ व पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान
सरकार